

भारत संचार निगम लिमिटेड
ऋण एवं अग्रिम अनुभाग

HRMS No.

सामान्य भविष्य निधि से बीमारी के उपचार के लिए धनराशि की अंतिम निकासी हेतु आवेदन पत्र

1. अंशदाता का नाम :
2. पदनाम :
3. मूल-वेतन :
4. भविष्य निधि खाता संख्या :
5. कार्यालय जिसमें सामान्य भविष्य निधि खाते का लेखाजोखा किया जाता है :
6. आवेदन की तारीख को अंशदाता के खाते में जमा अधिशेष :
7. अपेक्षित धनराशि :
8. (अ) प्रयोजन जिसके लिए यह धनराशि अपेक्षित है :
 - (i) जिस व्यक्ति की बीमारी के उपचार के लिए यह धनराशि निकाली जा रही है, उससे अंशदाता का संबंध :
 - (ii) बीमारी का स्वभाव :
- (ब) क्या यह आवेदन पहले ली गई अग्रिम धनराशि को अंतिम निकासी में परिवर्तन करने के लिए है ।
 - (i) लिए गए अग्रिम का विवरण भुगतान राशि और तारीख :
 - (ii) जिस धनराशि को अंतिम निकासी में परिवर्तन करना है, उसकी बकाया शेष धनराशि ।

9. (i) सेवा की अवधि (अलग-अलग अवधियों को मिलाकर यदि कोई हो) :
- (ii) आवेदन की तारीख को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सेवा अवधि ।
- (iii) अधिवर्षिता की तारीख :
10. पिछली अंतिम निकासी का प्रयोजन और धनराशि किस कार्यालय द्वारा संस्वीकृत की गई थी तथा इसका भुगतान किस महीने में किया गया था ।

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

पदनाम :

दूरभाष नंबर :

मद संख्या 1 से 6 में दिए गए विवरणों का सत्यापन कर लिया गया है और उन्हें सही पाया गया है।

अनुभाग अधिकारी (वेतन बिल)/(रोकड़ अनुभाग)/लेखाधिकारी (रोकड़)
मद संख्या 9 (i), (ii) और (iii) का सत्यापन कर दिया गया है और उन्हें सही पाया गया है ।

अनुभाग अधिकारी (सी.एस.एस.)/कार्मिक-1, II/पेंशन/ए एंड ई/एसईए

प्रमाणित किया जाता है कि मैं सामान्य भविष्य निधि (सिविल सेवा) नियमावली 1960 के नियम 15 खण्ड (1)(बी) में विहित शर्तों से संतुष्ट हूँ ।

अनुभाग अधिकारी (ऋण एवं अग्रिम)